

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,

झौंसी/उन्नाव/कन्नौज/प्रतापगढ़/फैजाबाद/सिद्धार्थनगर व खीरी  
प्रभारी जनपद उ०प्र०।

**विषय:** सीधी भर्ती-2013 चयन परिणाम में फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण कराये जाने तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अवगत कराना है कि सीधी भर्ती-2013 के परीक्षा परिणाम फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु चयनित 1145 अभ्यर्थियों की सूची पुलिस उप महानिरीक्षक(स्थापना) उ०प्र०पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: दस-५१-२०१३ दिनांक 19.09.2015 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उक्त सभी चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है।

2. उक्त चयनित 1145 अभ्यर्थियों में से अब तक 567, 358 व 114 (कुल 1039) अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर जनपद आवंटन कर, उनसे संबंधित पत्राविलयों जनपदों को प्रेषित की जा चुकी है।

3. उक्त 1145 अभ्यर्थियों में से अब तक पुनः 42 अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर उसने संबंधित पत्रालियों जनपदों से प्राप्त हुई हैं। इन 42 अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस भर्ती के संबंध में योजित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के अधीन किया जाना है। इस इस सभी 42 अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन की सूची पत्र के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। सूची, उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी ओ०एम०आर० आवेदन पत्र की मूलप्रति संबंधित अभ्यर्थी की चरित्र सत्यापन पत्रावली पर रखकर प्रेषित है।

4. जनपद स्तर पर चरित्र सत्यापन की कार्यवाही में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की तैयार की गयी चरित्र सत्यापन पत्रावली एवं उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में दी गयी सूचना एवं अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का मिलान करा लिया जाय तथा अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों को भी चेक करा लिया जाय। तत्पश्चात् सही पाये गये अभ्यर्थियों की आमद/नियुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। यदि किसी अभ्यर्थी के फोटोग्राफ, उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं प्रमाण पत्रों में भिन्नता एवं प्रतिकूलता हो तो उस अभ्यर्थी की आमद जनपद में कदापि न की जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को अवगत कराते हुए अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाय।

5. उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की दिनांक 16.03.2016 से जनपद में आमद कराकर उन्हें सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

6. फायरमैन के पद नियुक्ति का प्रारूप संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं ओ०एम०आर० आवेदन पत्र की सूचना के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाय।

7. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र०पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या: दस-५१-२०१३, दिनांक 13.01.2016 में अंकित है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होता है तो उनका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पुलिस मुख्यालय एवं इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाय।

8. अभ्यर्थीगण अपने साथ उ०प्र० पुलिस के वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर इस संबंध में दिये गये प्रारूप १ एवं २ में क्रमशः रु० ३२/- एवं ४२/- के नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र अंकित कराकर तथा नोटरी से उन शपथ-पत्रों को सत्यापित कराकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र०द्वारा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराये गये निर्देश उ०प्र०पुलिस के वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> के फायर सर्विस के सरकुलर पर उपलब्ध है। इस प्रशिक्षण हेतु केन्द्र तक की यात्रा के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

| क्रम सं0 | अभ्यर्थी का |     | पिता का नाम | गृह जनपद | चरित्र सत्यापन का जनपद | जनपद में आगमन की तिथि |
|----------|-------------|-----|-------------|----------|------------------------|-----------------------|
|          | अनुक्रमांक  | नाम |             |          |                        |                       |
| 1        | 2           | 3   | 4           | 5        | 6                      | 7                     |
|          |             |     |             |          |                        |                       |

10. उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त समस्त कार्यवाही/चयन प्रक्रिया के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश के अधीन रहेगा।

11. जनपद/प्रशिक्षण संस्थान रंगरुटो को किट प्रदान किये जाने, उनकी वर्दी सिलवाने, अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार PRAN No आवंटित कराने एवं उनकी पास-बुक समय से पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक— (1) फांयरमैन के पद पर नियुक्ति का प्रारूप।

(2) प्रारूप 1 एवं 2 (नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र हेतु)।

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक(अधिष्ठान/बजट)

नि0—पुलिस महानिदेशक

फायर सर्विस मुख्यालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर सचिव भर्ती, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिषेत्र, उ0प्र0।
5. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को इस आशय से कि अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन उनके द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराया गया, को अपने स्तर से भी आवंटित जनपदों में समय से एवं समस्त निर्देशों/अभिलेखों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करायें।

प्रतिलिपि: उक्त समस्त अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने नाम के सम्मुख आवंटित जनपद में निर्धारित तिथि, अभिलेखों तथा प्रारूप 1 एवं 2 (नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र) एवं बुलावा पत्र के साथ संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, को अपनी उपस्थिति/योगदान प्रस्तुत करें।

| एफएस-506-2015 रिकॉर्ट फायरमैन के जनपद आवंटन की सूची |            |                     |                    |            |            |   |             |
|---|------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---|-------------|
| क्र०  | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम     | पिता का नाम        | जन्मतिथि   | गृह जनपद   | निवास का पता  | आवंटित जनपद |
| 1   | 1790622    | पुष्पेन्द्र कुमार   | सुरेश चन्द्र       | 10.07.1989 | एटा        | ग्राम शिवसिंहपुर पोर्ट सर्वोदय आश्रम जिला एटा-207001                                | झाँसी       |
| 2   | 3579436    | विवेक पाण्डेय       | भरत लाल पाण्डेय    | 01.07.1994 | इलाहाबाद   | 717 / जी मेवालाल की बगिया नैनी, इलाहाबाद, उ0प्र0-211008                             | उन्नाव      |
| 3   | 3771806    | मो० सैफी            | सैयद इज़रार अहमद   | 05.03.1992 | इलाहाबाद   | ग्राम कुसोहय, पोर्ट कतरौली, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद, उ0प्र0-212402              | उन्नाव      |
| 4   | 3451369    | ज्ञानेन्द्र पाण्डेय | सूर्यमनी पाण्डेय   | 01.01.1994 | इलाहाबाद   | ग्राम व पो० हिंडैया, झूसी, इलाहाबाद, उ0प्र0-211019                                  | उन्नाव      |
| 5   | 2047565    | रणजीत कुमार         | बच्चा लाल पटेल     | 10.08.1993 | इलाहाबाद   | ग्राम बदौरा, पोर्ट छाटा ब्लाक बहरिया, थाना गऊ आयगा, जिला इलाहाबाद, उ0प्र0-212507    | उन्नाव      |
| 6   | 3577755    | जय कुमार यादव       | चन्द्र भान सिंह    | 10.09.1993 | इलाहाबाद   | ग्राम कुकुढ़ी, पोर्ट व थाना कौंधियारा, तहसील करछना, जनपद इलाहाबाद, उ0प्र0-212106    | उन्नाव      |
| 7   | 3672523    | संत कुमार           | वीरपाल सिंह        | 05.02.1995 | बरेली      | ग्राम सुमाष नगर, पोर्ट सराय तल्फी, जिला बरेली, उ0प्र0-243001                        | कन्नौज      |
| 8   | 1737697    | राहुल कुमार         | महेश कुमार         | 15.03.1994 | कानुपर नगर | तहसील बिलहौर, मक्कापुरवा, बीरागऊ, कानपुर नगर, उ0प्र0-209210                         | उन्नाव      |
| 9   | 1705316    | राम सहाय            | किशन लाल           | 08.02.1995 | महोबा      | ग्राम गरौली, पोर्ट बेइड़ो, महोबा, उ0प्र0-210429                                     | उन्नाव      |
| 10  | 3763064    | राज सिंह बड़ोदिया   | वीर सिंह           | 01.04.1992 | मेरठ       | ग्राम व पोर्ट महल, तहसील सरधना, जिला मेरठ-250222                                    | झाँसी       |
| 11  | 2099826    | अतुल कुमार पाण्डेय  | स्वामी नाथ पाण्डेय | 10.11.1993 | मिर्जापुर  | ग्राम भरहाना, पोर्ट सदर मिर्जापुर, देहात कोतवाली, मिर्जापुर, उ0प्र0-231001          | प्रतापगढ़   |
| 12  | 3728765    | वृजेश कुमार यादव    | जियालाल यादव       | 20.02.1994 | मिर्जापुर  | ग्राम सुररी, पोर्ट रुदौली, थाना चुनार, जनपद भीरजापुर, उ0प्र0-231304                 | प्रतापगढ़   |
| 13  | 1191664    | रमेश कुमार          | बांके लाल          | 18.02.1992 | मिर्जापुर  | ग्राम तिलावन न०-३, लालगंज, मिर्जापुर-231211   | प्रतापगढ़   |
| 14  | 3668014    | मंजीत कुमार         | रामदेव             | 25.11.1993 | मिर्जापुर  | ग्राम अर्जुनपुर (पाठक) पोर्ट देवरी (आमपार) जिला मिर्जापुर-231001                    | प्रतापगढ़   |
| 15  | 3176119    | मयंक शर्मा          | विजय कुमार शर्मा   | 08.07.1993 | शाहजहाँपुर | आदर्शन नगर कालोनी, माल गोदाम रोड, गली न०७ ४, रौजा जंक्शन, शाहजहाँपुर, उ0प्र0-242306 | उन्नाव      |
| 16  | 3465171    | रोहित वर्मा         | रामदुलारे वर्मा    | 10.07.1993 | शाहजहाँपुर | ग्राम खजुरिया, पो० नाहिल, तहसील पुवायाँ, जिला शाहजहाँपुर, उ0प्र0-242401             | उन्नाव      |
| 17  | 3466237    | अमित कुमार          | राजपाल             | 10.02.1995 | शाहजहाँपुर | ग्राम रिकरोही, पोर्ट इन्देपुर, थाना व परगना काट, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर -242225 | उन्नाव      |

|    |         |                   |                   |            |          |   |               |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------|----------|---|---------------|
| 18 | 1901087 | बृजेन्द्र प्रताप  | रामाधार प्रसाद    | 05.08.1992 | देवरिया  | पुलिस लाइन परेड ग्राउन्ड, क्यू.एन.जे.ड.-318 रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, उ0प्र0-273001      | फैजाबाद       |
| 19 | 3124867 | प्रवीण कुमार सिंह | राकेश कुमार सिंह  | 10.03.1992 | वाराणसी  | ग्राम पूरे पोर्ट कछवा रोड, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी, उ0प्र0-221313                   | प्रतापगढ़     |
| 20 | 1687532 | सोनू              | रामनाथ            | 10.02.1993 | वाराणसी  | ग्राम गहूरा, पोर्ट मोपापुर, थाना छोलापुर, वाराणसी, उ0प्र0-221202                      | प्रतापगढ़     |
| 21 | 3597173 | कमलेश कुमार गौड़  | राम जियावन गौड़   | 15.09.1991 | वाराणसी  | ग्राम राजापुर, पोर्ट राजापुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी, उ0प्र0-221101               | प्रतापगढ़     |
| 22 | 1683441 | अजीत सिंह         | श्याम बिहारी      | 08.09.1991 | आजमगढ़   | 541बी, राज कालोनी, केन आफीसर, हुसैनाबाद, जौनपुर, उ0प्र0-222002                        | प्रतापगढ़     |
| 23 | 1183942 | सुलभ सौनकिया      | नरेन्द्र कुमार    | 12.10.1994 | जालौन    | ग्राम गरहर, पोर्ट गरहर, उरई, जालौन-285001   | झाँसी         |
| 24 | 3349866 | धीरेन्द्र सिंह    | हाकिम सिंह        | 13.07.1993 | जालौन    | ग्राम सिकरी रहमानपुर, पो0 मुसमरिया, तहसील कालपी, थाना चुखी, जिला जालौन, उ0प्र0-285123 | झाँसी         |
| 25 | 3766010 | सर्वेश सिंह       | सियाराम सिंह      | 14.07.1994 | जालौन    | ग्राम हयनौरा, पोर्ट महेबा, थाना चुखी जिला जालौन-285211                                | झाँसी         |
| 26 | 1710495 | भीकम सिंह         | ब्रह्मादीन        | 14.04.1993 | जालौन    | ग्राम रामनगर पोर्ट गोहान, माधवगढ़ जालौन-285134  | झाँसी         |
| 27 | 1809889 | सौरभ यादव         | रामसुरेश यादव     | 20.07.1994 | गोरखपुर  | ग्राम खुटाहा खास, पोर्ट खुटाहा खास, टोला सौनबरसा, गोरखपुर, उ0प्र0-273306              | फैजाबाद       |
| 28 | 3074876 | सुदर्शन यादव      | सुन्दर यादव       | 23.05.1995 | गोरखपुर  | ग्राम नवदह, पोर्ट उत्तवल, थाना खजनी, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर, उ0प्र0-273406          | सिद्धार्थ-नगर |
| 29 | 3771923 | प्रवीण कुमार      | शिव राम           | 03.07.1992 | गाजीपुर  | क्वा0 न0-जे0/327, पुलिस लाइन परेड ग्राउन्ड गोरखपुर-273001                             | फैजाबाद       |
| 30 | 3553569 | प्रशान्त मिश्रा   | उदयभान मिश्रा     | 10.08.1993 | गाजीपुर  | ग्राम बौरी, पोर्ट बौरी, थाना नोनहरा, तहसील सदर, जिला गाजीपुर, उ0प्र0-233303           | फैजाबाद       |
| 31 | 3481054 | राहुल कुमार       | परम सिंह          | 10.07.1993 | बिजनौर   | कमरा न0-73 रिजर्व पुलिस लाइन, लखनऊ-226007   | फैजाबाद       |
| 32 | 2246653 | सदाशिव            | भागीरथ            | 10.07.1968 | रायबरेली | म0न0 592झ/366 रविन्द्र नगर, तेलीबाग, लखनऊ, उ0प्र0-226029                              | उन्नाव        |
| 33 | 3055330 | राहुल कुमार       | जिलाजीत           | 28.07.1993 | जौनपुर   | ग्राम बहिमपुर, पोर्ट भगवानपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़-230135                        | प्रतापगढ़     |
| 34 | 1701698 | मनीष यादव         | नरायन प्रसाद यादव | 15.12.1992 | शिवपुरी  | वार्ड न0-1 बिहाइन्ड खट्टामिल, ठाकुरपुर, शिवपुरी-473551                                | झाँसी         |
| 35 | 1176528 | अमरदीप कुमार      | अरुण कुमार सिंह   | 13.09.1994 | नवादा    | मलिकपुर, नेमदरगंज, अकबरपुर, नवादा, बिहार-805121                                       | खीरी          |

*Rajaram*

|     |         |                       |                      |            |                  |  |           |
|-----|---------|-----------------------|----------------------|------------|------------------|--|-----------|
| 36  | 2160080 | निकेश कुमार           | अरुण सिंह            | 11.10.1994 | अन्य जनपद        | ग्राम जगालपुर, पोस्ट तारगीज, थाना रजौली, जमालीपुर, नवादा, बिहार-805125 | खीरी      |
| 37. | 3041755 | सिकन्दर<br>यादव       | शंकर यादव            | 24.04.1992 | मोजपुर,<br>बिहार | ग्राम घोड़डेई, पोस्ट खजुरियाँ, जिला गोजपुर, बिहार-802156               | खीरी      |
| 38  | 1286734 | निकेश कुमार<br>पाण्डे | नन्द किशोर<br>पाण्डे | 16.02.1993 | मोजपुर,<br>बिहार | ग्राम विशुनपुर, पोस्ट बन्धु छपरा, थाना बरहा, जिला भोजपुर, बिहार-802163 | खीरी      |
| 39  | 3057816 | दीपक सिंह             | दिनेश सिंह           | 08.03.1994 | जौनपुर           | 270 तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उ0प्र0-211006                        | खीरी      |
| 40  | 1563345 | राहुल कुमार<br>सिंह   | महेन्द्र सिंह        | 12.05.1988 | बुलन्दशहर        | C/O दलपत रिंह, बिल्सुरी, थाना- सिकन्दरबाद, बुलन्दशहर-203205            | फैजाबाद   |
| 41  | 1685512 | पवन सिंह              | ओम प्रकाश<br>सिंह    | 04.12.1991 | वाराणसी          | ग्राम उघोरामपुर, पोस्ट हथियार कलां, जिला वाराणसी, उ0प्र0-221101        | प्रतापगढ़ |
| 42  | 1225920 | संदीप कुमार           | ओम प्रकाश            | 03.07.1993 | सहारनपुर         | ग्राम व पोस्ट गगलहरी, जिला सहारनपुर, उ0प्र0-247001                     | फैजाबाद   |

*Arif*

*(B) Naran*

*Q*  
*MFB*

## फायरमैन के पद पर नियुक्ति का प्रारूप

उम्र 30 अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, ..... के प्रावधानों के अनुसार  
पुलिस महानिदेशक, उम्र 30 द्वारा अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, ..... के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस असरकी एवं फायरमैन पदों पर भर्ती-2013  
के अन्तर्गत घण्टित अध्यर्थी ..... अनुकूलांक ..... पुत्र श्री .....  
निवासी ग्राम ..... पोस्ट ..... धाना- ..... तहसील ..... जिला ..... (पिन कोड नं 0 .....  
.....) को फायरमैन पद पर नियुक्त हेतु अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, फायर सर्विस मुख्यालय, उम्र 30  
लखनऊ के पश्चाक ..... विनांक ..... द्वारा जनपद, .....  
अधिकारी किया गया है।  
2. अतः अध्यर्थी ..... अनुकूलांक ..... पुत्र श्री ..... धाना- .....  
निवासी ग्राम ..... पोस्ट ..... धाना- .....  
.... तहसील ..... जिला ..... (पिन कोड नं 0 ..... ) को 30 अवधि अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2010 (थथा संशोधित) के अधीन रिकूट फायरमैन के पद पर<sup>1</sup>  
अस्थायी रूप से जनपद ..... ने नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हे नियमानुसार अनुमत्य पे-बैण्ड ल 0  
5,200-20,200 ग्रेड पे 2,000/- के अनुसार प्रतिमाह बेतन का मुगातान दिया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी  
जो कभी भी समाज की जा सकती है।  
3. मुख्य अधिकारी/प्रभारी अधिकारी उक्त अध्यर्थी को जनपद में ही रखकर प्रारंभिक  
अधिकारी प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
जनपद- ..... |

## कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद ..... |

संख्या-

दिनांक 2016

### प्रतिलिपि -

प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिकूट फायरमैन की भर्ती एवं प्रशिक्षण संबंधी  
सभी कार्य समय से पूर्ण करने, सामान्य अधिकारी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु।  
2. आकृति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
3. अध्यर्थी ..... अनुकूलांक ..... पुत्र श्री ..... धाना- .....  
निवासी ग्राम ..... पोस्ट ..... धाना- .....  
.... तहसील ..... जिला ..... (पिन कोड नं 0 ..... ) को अनुपालनार्थ।

### संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
1. पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण, उम्र 30 पुलिस प्रशिक्षण निवेशालय, लखनऊ।  
2. पुलिस महानिरीक्षक ..... जोन ..... |  
3. पुलिस उप महानिरीक्षक ..... परिषेत्र ..... |  
4. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, फायर सर्विस मुख्यालय, उम्र 30 सखनक को उनके पत्र संख्या- .....  
..... दिनांक ..... के संदर्भ में।

### परिशिष्ट "च" (1)

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज-सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा नियमानुतार अनुमत्य वेतन प्रशिक्षण काल में दिया जायेगा, के संबंध में अध्यर्थी (रिकूट) के माता, पिता संरक्षक या भित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूकि मैं ..... आत्मज श्री ..... जिला .....  
 का निवासी हूँ और चूकि पुलिस सेवा हेतु प्रशिक्षण के प्रयोगनार्थ सामान्य अनिनशमन प्रशिक्षण ..... में  
 सम्मिलित होने के लिये उत्तर प्रदेश कायर सर्टिफिस में भर्ती हेतु ..... आत्मज श्री .....  
 ..... निवासी ..... को ध्यानित किया गया है और उसने सरकार की सेवा को  
 वरण किया है। अतएव वह बन्ध-पत्र दिनांक ..... जो उक्त ..... के निमित्त  
 प्रतिभू ..... प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश डिरीच पश्च के मध्य निष्पादित हुआ  
 है। इस बात का साक्षी है कि उक्त ..... के उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त .....  
 इस बन्ध के दिनांक से उक्त संस्थान में परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए तब तक  
 रहेगी जब तक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, कायर सर्टिफिस 30प्र० या उक्त संस्थान के प्रमुख उसे अपना  
 प्रशिक्षण छोड़ने की अनुमति न प्रदान करे और वह उक्त संस्थान से संबंधित अध्यर्थी (रिकूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का  
 सभ्य दृश्य से पालन करेगा। उक्त ..... का उक्त अवस्था कि उक्त ..... अध्यर्थी  
 (रिकूट)

1. उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा फायरमैन रिकूट की परीक्षा पास न करे।
2. प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे।
3. दुर्घटना ब्रस्ट होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा ते हटा दिया जाय।
4. उक्त संस्थान से संबंधित अध्यर्थी (रिकूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करे अथवा इन नियमों के  
 अर्धान उक्त संस्थान से बहिस्कृत अथवा पुर्यक किया जाय।
5. प्रशिक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नीकरी से त्याग पत्र दे दें।
6. साज-सज्जा की पूर्ण धनराशि बसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
7. उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववत्ता के संतोषजनक न पाये जाने पर ज्ञालेज से बहिष्कृत या पुर्यक  
 किये जाये तो उपरलिखित किसी भी दशा में उक्त रिकूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि  
 देने के लिये बचमबद्ध है :-  
 1- वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के संबंध में उससे देय पायी जावे।  
 2- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुतार अनुमत्य वेतन के रूप में दी जाय।  
 3- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।  
 4- और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा, कि उक्त धनराशि रिकूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन  
 के प्रशासकीय विभाग के संचिव प्रमाण-पत्र पर जो उक्त रिकूट पर बाध्यकार एवं अनिम होगा माल गुजारी वी  
 भाति बसूल होगा।

साक्षी

1-.....  
 2-.....

हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

## परिशिष्ट "ख" (2)

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के छस्ताक्षर कराने के लिये बनव पत्र

मेरे ..... आत्मज श्री ..... जिला .....  
 को निवासी हैं। ..... इथत प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष .....  
 में चुना गया है। (जिसे अगे रिकूट फायरमैन कहा गया है)

उक्त रिकूट राज्यपाल उत्तर प्रदेश के साथ प्रसविदा करता है कि उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रभारी द्वारा समय-समय पर जो भी साज-सज्जा उसे भिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दे, और जिसके मूल्य के संबंध में उसी यथा समय सुधना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिसे मेरे नियुक्त हो जाये समूण धनराशि का भुगतान 12 मासिक विस्तो में कर देगा इनके निमित्त वह एकाउन्टेन को प्रदानकरा प्राप्तिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन में काट लिया जाये, वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त रिकूट को त्याग पत्र देने, प्रशिक्षण बन्द कर देने या पदच्युत किये जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हे उक्त संस्थान के प्रमुख ने उसे संस्थान में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में ऑटोज स्टोर से मिले हों, अपने पास रखे या वह उन्हे ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त संस्थान प्रमुख/प्रभारी निश्चित करे, संस्थान प्रमुख हो जाए बैच सकता है।

उक्त रिकूट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश में यह भी प्रसविदा करता है कि यदि वह -

1. उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि विहित प्रशिक्षण की परीक्षा पास न करे।
2. प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
3. दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4. प्रशिक्षण बदल में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानीरीक्षक, कायर सर्विस 3030 अथवा उक्त संस्थान के प्रमुख/प्रभारी की बिना पूर्ण अनुमति के उक्त संस्थान छोड़कर यहा जाय या प्रशिक्षण बन्द कर दे।
5. उक्त संस्थान से सबैथित अधिकारीयों (रिकूट) के लिये नियमित नियमों का पालन न करे, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिष्कृत अथवा पृथक किया जाय।
6. प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग-पत्र दे दें।
7. साज-सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग-पत्र दे दें।
8. उक्त संस्थान के प्रमुख/प्रभारी द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संतोषजनक न पाये जाने पर संस्थान से बहिष्कृत या पृथक किया जाये तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिकूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वकालबद्ध है :-

- 1- वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के लंबवंद में उससे देय पायी जाय।
- 2- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के स्वरूप में दी जावे।
- 3- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने से व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त रिकूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण पत्र पर यो उक्त रिकूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा।

साक्षी

1-.....

हस्ताक्षर .....

विनांक.....

2-.....

स्वाक्षर.....

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद.....।

संख्या-

दिनांक 2016

संख्या में,

(अभ्यर्थी का नाम व  
पता लिखा जाय)

विषय :- प्रशिक्षण सत्र 2015-16 में फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का फायरमैन के पद पर वैसिक प्रशिक्षण हेतु आर्टिट विशिक्षण संस्थान/जनपद में उपस्थित होने के संबंध में।

उम्र 30 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टेड बोडे, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-पीआरबी:अनु०-६-४-०६/२०१५, दिनांक 20.11.2015 द्वारा 1145 चयनित अभ्यर्थियों की ड्रूकलेट सलग्न कर अवगत कराया गया है कि इन 1145 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम अपरिवर्तनीय है। इस सूची में फायरमैन के पद हेतु शेषताङ्कमें ..... अभ्यर्थीगण हैं। उक्त परिणाम एवं चरित्र सत्यापन से उपयुक्त घाये जाने के फलस्वरूप आपको फायरमैन पद के वैसिक प्रशिक्षण हेतु जनपद/संस्थान ..... आर्टिट किया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आर्टिट जनपद/प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक ... को विलम्बतम अपराह्न ..... बजे एक अपने आगमन की सूचना दे दें।

2. आप आपने साथ प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट माइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका बयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। उसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की वेबसाइट पर इस संबंध में दिये गये प्रारूप 1 एवं 2 में क्रमशः रु० 32/- एवं रु० 42/- के नन-नुडिशियल स्टाप पैपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यपात कराकर शपथ पत्र आपने साथ लेकर आर्टिट जनपद/प्रशिक्षण संस्थान का प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्देश उम्र 30 फायर सर्विस की वेबसाइट [www.upfireservice.gov.in](http://www.upfireservice.gov.in) पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट से आप संबंधित निर्देश डाउनलोड कर तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. जनपद/प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों को पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भूत्ता देय नहीं होगा।

4. उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही बयन प्रक्रिया के संबंध में नाइ न्यायालय में योजित विभिन्न रिट यांचिकाओं में पारित होने वाले विषय के अधीन रहेगा।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
जनपद.....।

मूल पर नहीं।

प्रतिलिपि: जनपद/संस्थान प्रमुख ..... को मूलनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।